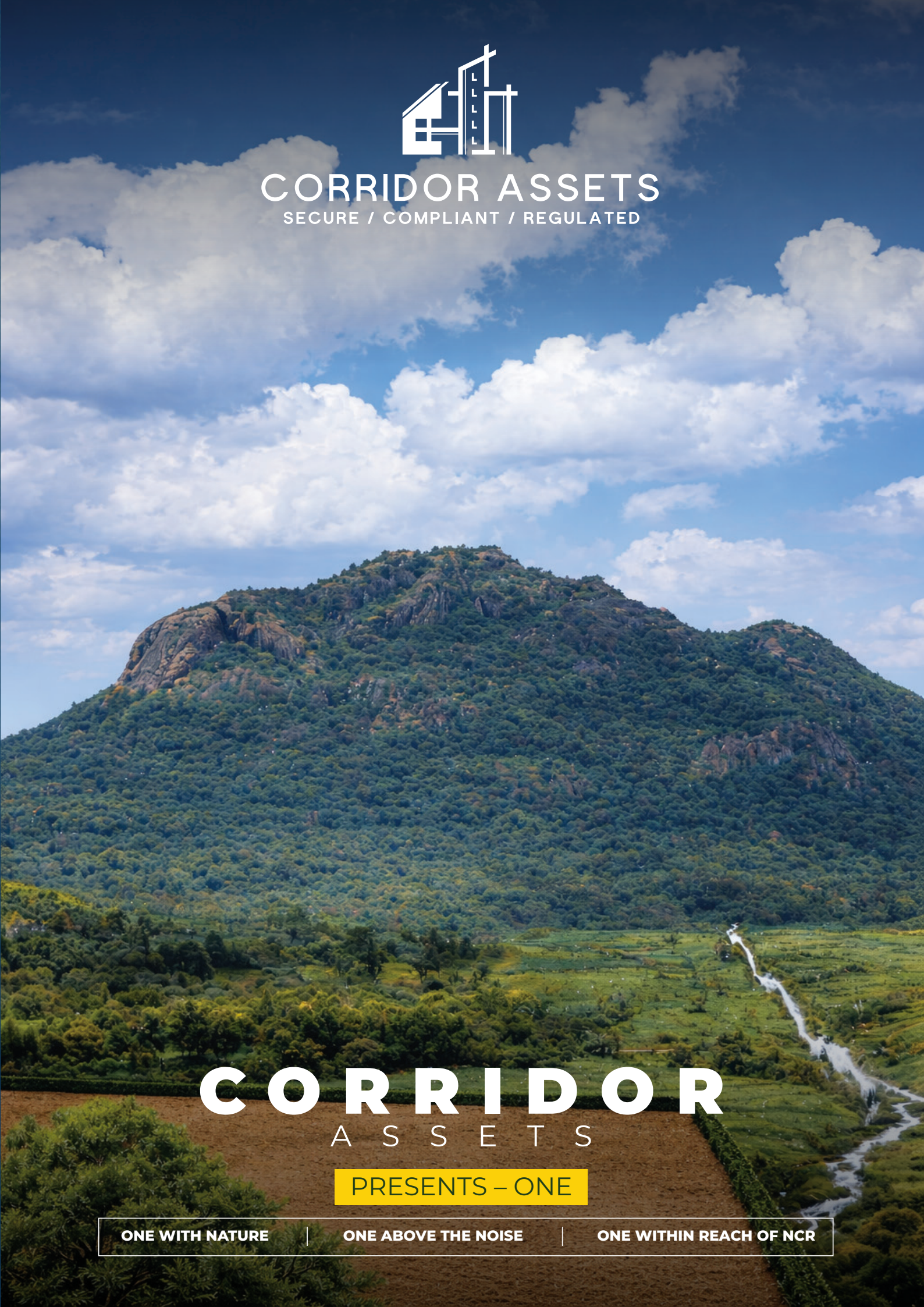
CORRIDOR ASSETS
SECURE / COMPLIANT / REGULATED
CORRIDOR
ASSETS
PRESENTS – ONE
ONE WITH NATURE | ONE ABOVE THE NOISE | ONE WITHIN REACH OF NCR



NCRs BEST KEPT *secret*

Front view from the top with the Arravlis in the backdrop-the **NH** for access and the Rivulet flowing from a million year old rock

ABOUT
CORRIDOR ASSETS

Corridor Assets is a real estate development firm founded by industry veterans, focused on creating fully compliant residential and farmhouse communities near the Delhi–Mumbai Expressway, with a current focus on Rajasthan. We acquire land using internal capital and ensure all statutory approvals—such as 90A conversions and lease deeds from the Nagar Palika (Urban Local Body)—are secured before offering projects to buyers. Our assets are fully bankable and eligible for loans, making them leveragable, tradable, and more liquid than typical farmhouses being offered in the market. Located within notified municipal limits, our developments benefit from planned public and private investment, offering a secure, legal, and future-ready alternative to unregulated farmhouse projects.

APPROVED -90A
A licensed land

FOCUSING ON
Upcoming Urban Centres around Delhi Mumbai expressway / NE-4

80 ACRES
of land under development at 3 sites







Conceived as a low-density development of small-format villas, the design emphasizes smart planning, natural ventilation, shaded verandahs, and thick walls—perfectly suited to the Aravalli climate. Materials remain rooted in timeless aesthetics, with stone finishes and soft earthy tones, paired with clean, contemporary detailing.

A unified design language ensures visual harmony across the estate, while offering investors the flexibility to develop villas end-to-end with us. All homes are planned within a permissible FSI of 10%, resulting in controlled, breathable, and well-proportioned living spaces.



REGULATORY LIBRARY

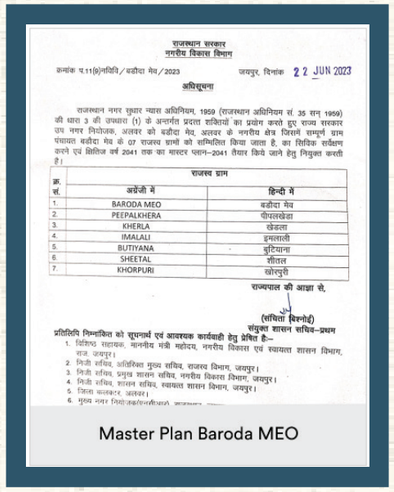

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि/बड़ौदा मेव/2023 जयपुर, दिनांक 22 JUN 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, अलवर को बड़ौदा मेव, अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बड़ौदा मेव के 07 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक का मास्टर प्लान–2041 तैयार किये जाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम अंग्रेजी में	राजस्व ग्राम हिन्दी में
1.	BARODA MEO	बड़ौदा मेव
2.	PEEPALKHERA	पीपलखेड़ा
3.	KHERLA	खेड़ला
4.	IMALALI	इमलाली
5.	BUTIYANA	बुटियाना
6.	SHEETAL	शीतल
7.	KHORPURI	खोरपुरी

राज्यपाल की आज्ञा से,
(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अलवर।
6. मुख्य नगर नियोजक

Master Plan Baroda MEO

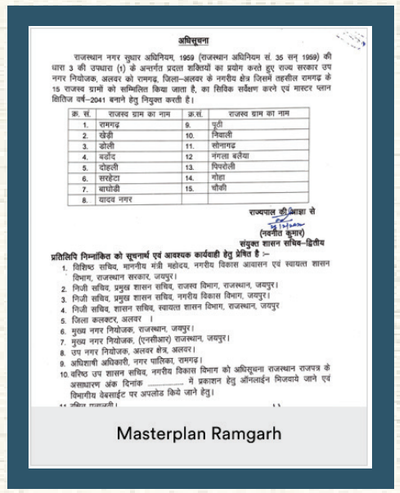

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, अलवर को रामगढ़, जिला–अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील रामगढ़ के 15 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष–2041 बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	रामगढ़	9.	पुटी
2.	खेड़ी	10.	निवाली
3.	डोली	11.	सोनागढ़
4.	बड़ौद	12.	नंगला बलैया
5.	दोहली	13.	पिपरौली
6.	सरहेटा	14.	गोहा
7.	बाघोड़ी	15.	चौकी
8.	यादव नगर		

राज्यपाल की आज्ञा से
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, अलवर ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर) राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगढ़।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Masterplan Ramgarh

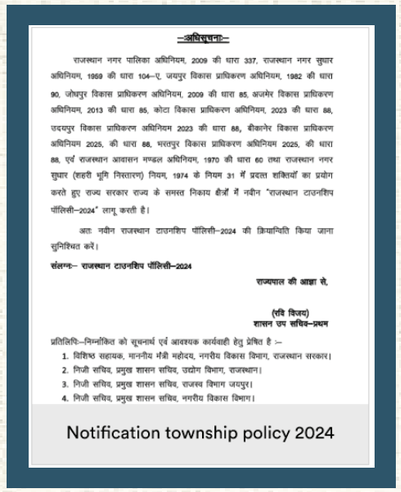

–अधिसूचना–

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104–ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 तथा राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के समस्त निकाय क्षेत्रों में नवीन "राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024" लागू करती है।

अतः नवीन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024 की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:– राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024

राज्यपाल की आज्ञा से,
(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।

Notification township policy 2024

90 A CONVERSION LICENSE

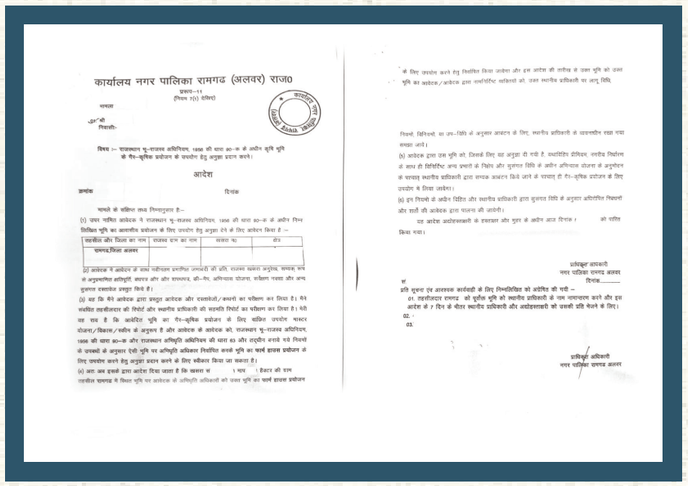

कार्यालय नगर पालिका रामगढ़ (अलवर) राज0

प्रकरण–11
(नियम 7(1) देखिए)

भाषण

श्री
निवासी:-

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

क्रमांक दिनांक

भाषण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:–

(1) उपर्युक्त आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्न क्षितिज भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

खसरीज और जिला का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
रामगढ़,जिला अलवर			

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुलेख, सम्पत्ति कर के अनुपस्थापित अधिपूर्ति, सत्यपत्र और और शपथपत्र, बी–पेन, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक और दस्तावेजों/कमरों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग भास्कर योजना/विकास/स्थान के अनुसार है और आवेदक के आवेदक को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अधिपति अधिनियम की धारा 63 और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिपति अधिकार निर्धारित करके भूमि का चार्ज द्वारा प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नं 1 भाग 1 हेक्टर की राम तहसील रामगढ़ में स्थित भूमि पर आवेदक के अधिपति अधिकारी को उक्त भूमि का चार्ज द्वारा प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्धारित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू किये

निवासी, विनिर्माण या उप–विधि के अनुसार आवेदन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के उपलब्धीय नक्शा नक्शा लगाया जाये।

(5) आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, सम्बन्धित प्रतिबन्ध, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवेदन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिपति निबन्धनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश आवेदनकारी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया गया।

प्रतिकृत्य सत्यकारी
नगर पालिका रामगढ़ अलवर
दिनांक.....

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी –
01. तहसीलदार रामगढ़ को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और आवेदनकारी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
02.
03.

प्रतिकृत अधिकारी
नगर पालिका रामगढ़ अलवर

WITHOUT CLU / FARMHOUSE PLOTING	CLU-COMPLIANT URBAN FARMHOUSE
▪ Risk of demolition	▪ Up to 10% legal construction permitted
▪ No mortgage / loan possible	▪ Mortgageable Asset – home loan available
▪ Hard to sell – low liquidity	▪ Easy to sell – Tension-free legal ownership

CURATED ESTATE
AMENITIES
& Landscape



24×7 SECURITY & ESTATE STAFF

CCTV-enabled security with dedicated on-site staff for round-the-clock safety and upkeep.



URBAN ELECTRICITY & WATER GRID

JVVNL electricity and Nagar Palika water supply - reliable, urban-grade infrastructure.



PROFESSIONAL ESTATE MAINTENANCE

Managed maintenance ensuring seamless operations, landscape care and long-term upkeep.









30% GREEN LANDSCAPE

Tree-lined greens with native species — Kadam, Ashoka, Terminalia, Bougainvillea,



NATURE-INTEGRATED LIVING

A ~30-ft wide natural rivulet, being revived under Nagar Palika supervision, flows from the Aravallis - a rare ecological feature within the estate.



NATURAL STONE BOUNDARY WALLS

2-ft thick handcrafted stone walls ensuring privacy, security and timeless character.



THE RESULT

A secure, green & well-maintained estate - built for quiet living, family time and lasting value.



40-FT WIDE INTERNAL ROADS

As per Rajasthan Township Policy 2024-wide, well-planned estate roads for smooth access.


RIVULET UNDER REJUVENATION
STRETCHING 900 METERS & FLOWING DOWN FROM THE MOUNTAINS.
30% RESERVED GREEN AREA
10% FSI FOR LOW DENSITY VILLAS AS MANDATED BY 2024 TOWNSHIP POLICY
RESERVED FOR RESORT LICENSE RECEIVED
NATIONAL HIGHWAY 248A - FRONTAGE

POSITIONED ON NATIONAL HIGHWAY FRONTAGE

ONE OCCUPIES A RARE ADDRESS DIRECTLY ALIGNED WITH THE REGION'S FUTURE URBAN GRID.

- **The Paniyala Expressway** - a stone's throw away and under active construction will anchor this corridor, while the widening of NH-248A and seamless connectivity to the Delhi–Mumbai Expressway redefine regional access.
- Part of **Ramgarh** Nagar Palika and closely linked to Alwar, this stretch is poised to evolve into the next urban cluster as growth naturally moves toward the new expressway exit.
- **Gurugram** is under **100 minutes** today. With the infrastructure underway, that distance only contracts.

CORRIDOR ASSETS
SECURE / COMPLIANT / REGULATED





PANIYALA EXPRESSWAY CONSTRUCTION MOVING FAST 3 KM AWAY

CORRIDOR ASSETS

SECURE / COMPLIANT / REGULATED

CORRIDOR ASSETS

+91 - 73037 82020, 98209 31693

Info@corridorassets.com

www.corridorassets.com

1711A, Block No. 02 Magnum Global Park, Sector-58 Gurugram, Haryana – 122011